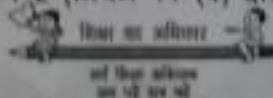


परूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (BHIND), मध्य प्रदेश

दस्तावेज:- 245630 फाइल:- 245630 ई-मेल:-

क्रमांक:-/स्कूल अर्ह.डी. - 79109
पति,

दिनांक:-

प्रबंधक,

(FIRST STEPS INTERNATIONAL SCHOOL)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 02/02/2018 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -FIRST STEPS INTERNATIONAL SCHOOL, ECHAYA ROAD GOHAD DIST BHIND को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पठोस की सीमा के तहत समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवृत्ति व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवृत्ति सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पक्षीय प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (पि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध पि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पुष्टि से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कंपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छपनवीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - (क) आयु के स्कूल को अभाव में,
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है,
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बॉर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यपथों का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अतिरिक्त निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएँ निम्नानुसार पाई गयीं:-

सुविधाएँ	फोटो में दर्जे	वास्तविक स्थिति
8 स्कूल के भवन की स्थिति	फोटो का भवन	फोटो का भवन
9 स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	81000	105000
10 स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	28000	5000
11 खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	53000	5000

क्र.	अधीनस्थान का विवरण					
	कक्षा	Rooms as per RTE	फोटो में दर्जे		वास्तविक स्थिति	
			संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		18	500	12	350
2	कार्यालय कक्ष-सह-अपडार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		1	500	1	400
3	भोजनालय-सह-अपडार		1	500	1	500

क्रमांक	अन्य सुविधाएँ	फोटो में दर्जे	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सुविधाएँ तक पहुंच बाधा रहित है हा/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	2000	153
5	परिष्कार/समाचार पत्र	10	5
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	पेयजल सुविधा की संख्या	3	1
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/दोनों)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	3	3
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	3	3
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
12	क्या अग्नि सुरक्षा बंगाली उपलब्ध है ? हा/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा धार्कट्ट एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर.... एवं डाईसकोड (DISE) 23030724506 है। इस कार्यालय के साथ पराधार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमिटी को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्याया, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियमों के उपाबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।


District Education Officer
जिला शिक्षा अधिकारी (M.P.)

जिला BHIND मध्य प्रदेश

बी. आर. सी. सी. के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुशंसा के आधार पर अट्टर/मंहराव/गोहरे की मायबरा जख्मे की जाती है।